(129)

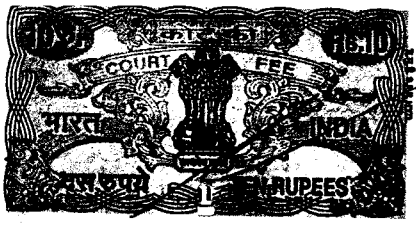

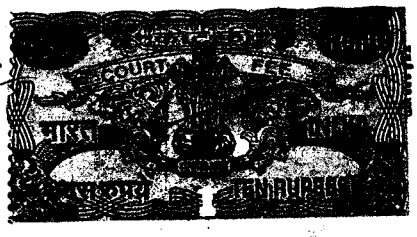

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर कैम्प उज्जैन
प्रकरण कमांक /2017 रिवीजन

R 1237-PBR-17

01 **श्रीमती** विघावती आयु 67वर्ष पति स्व. राजेन्द्रकुमारजी
02 रामचरण आयु 34 वर्ष पिता स्व. राजेन्द्रकुमारजी
03 **श्याम** आयु 30 वर्ष पिता स्व. राजेन्द्रकुमारजी
सर्वगण जाति ब्राहम्ण, निवासीगण चन्द्रशेखर
आजाद चौक बडनगर जिला उज्जैन म.प्र.

........................आवेदकगण

विरूद्ध

01 श्रवणकुमार आयु 37 वर्ष पिता शिवनारायणजी
जाति ब्राहम्ण, निवासी चन्द्रशेखर आजाद चौक
बडनगर जिल उज्जैन म.प्र.
02 अरूणकुमार आयु 57 वर्ष पिता श्री नंदकिशोरजी
जाति ब्राहम्ण, निवासी गेन्दा बावडी, बडनगर जिला
उज्जैन म.प्र.

........................अनावेदकगण

पुनिरिक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं.

न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी बडनगर द्वारा प्रकरण कमांक 41/14–15 अपील मे पारित आदेश दिनांक 20/02/2017 से असंतुष्ट होकर पुनिरिक्षण याचिका ।

मान्यवर महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनिरिक्षण याचिका निम्नलिखित प्रस्तुत है–

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

01 यह कि अनावेदक कमांक 1 ने अधिनस्थ न्यायालय मे तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 1–अ–6/15–16 मे पारित आदेश दिनांक 24/10/2015 से असंतुष्ट होकर अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बडनगर के न्यायालय मे दिनांक 20/03/2015 को यह तथ्य लिखकर प्रस्तुत की कि आदेश दिनांक 24/10/2014 की जानकारी अनावेदक कमांक 1 को दिनांक 02/03/2015 को पटवारी मोजा से जानकारी प्राप्त होने पर अनावेदक कमांक 1 द्वारा दिनांक 13/03/2015 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर वरष्ठि अधिकारियो को तथा पुलिस मे शिकायत करने के कारण सात दिवस का विलम्ब हुआ । उक्त विलम्ब क्षमा करने हेतु धारा 5 अवधि विधान के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई । आवेदकगण द्वारा आवेदन का लिखित उत्तर अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1237–पीबीआर/17 जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–5–2017	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–2–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकगण की ओर से अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को इस निष्कर्ष के स्वीकार किया गया है कि अनावेदक कमांक 1 मृतक भूमिस्वामी विष्णुकांता का पुत्र होकर वैध वारिस है, इसलिये उसे सुना जाना न्यायहित में आवश्यक है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	